न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी पकरण कमांक 572–तीन/14 विरूद्ध आदेश, दिनाक 30–12–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 1097/अ–56/11–12.

मायारानी आयु 45 साल बेवा माखनलाल दहायत
निवासी कुँवरपुरा तहसील हटा जिला दमोह म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

राकेश पिता शंकरलाल दहायत
निवासी कुँवरपुरा तहसील हटा जिला दमोह म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री राजेन्द्र पटेरिया, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/12/2015 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 572–तीन/14 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, सागर के प्रकरण कमांक 1097/अ–56/11–12 में पारित आदेश दिनांक 30–12–2013 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । ग्राम कुँवरपुरा तहसील हटा, जिला दमोह में निगराकार का पति माखनलाल कोटवार के पद पर नियुक्त था । माखनलाल की मृत्यु दिनांक 24–3–12 को हो जाने पर, तहसीलदार, हटा ने उनके प्रकरण कमांक 1/अ–56/11–12 में विज्ञप्ति प्रकाशित कर, रिक्त पद की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये, थाना प्रभारी, ग्राम

पंचायत एवं हल्का पटवारी के प्रतिवेदन प्राप्त किये, एवं धारा 230 भू–राजस्व संहिता में कार्यवाही कर आदेश दिनांक 28–5–12 से गैर निगराकार राकेश को कोटवार नियुक्त किया। इसके विरूद्ध निगराकार द्वारा दायर प्रकरण कमांक 61/अ–56/11–12 में अनुविभागीय अधिकारी, हटा ने आदेश दिनांक 27–7–12 से अपील स्वीकार कर निगराकार को कोटवार नियुक्त किया और तहसीलदार का आदेश दिनांक 28–5–12 निरस्त किया । द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष हुई, जहां प्रकरण कमांक 1097/अ–56/11–12 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30–12–13 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार का 28–5–12 एवं अनुविभागीय अधिकारी का 27–7–12, दोनों आदेश को विधि सम्मत नहीं होने लिखते हुए निरस्त कर दिया गया ।

3/ निगराकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये जिनमें उन्होंने निगरानी मेमों के बिन्दुओं को दोहराया ।

4/ मैने प्रकरण के अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया और तर्क के बिन्दुओं पर विचार किया । प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुखतः टीप योग्य है :

(1) तहसीलदार ने नियुक्ति आदेश के जारी करने के पूर्व विज्ञप्ति द्वारा आवेदन आमंत्रित किये और थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत तथा पटवारी के प्रतिवेदन प्राप्त किये एवं प्रथम दृष्टया एक बोलता हुआ निर्णय अभिलिखित किया ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी ने पाया कि ग्राम पंचायत कुंवरपुर ने बगैर ग्राम सभा कराए गैर निगराकार राकेश, जो सरपंच का भतीजा था, के पक्ष में प्रस्ताव किया था, तथा निगराकार मायारानी को पूर्व कोटवार की निकटतम रिश्तेदार पाते हुए और उसे कोटवार कार्य का ज्ञान होना पाने से सक्षम पातें हुए कोटवार नियुक्त किया ।

(3) द्वितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त ने अपने आदेश में तथ्यों एवं तर्कों का विवरण तो किया, किन्तु तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी दोनों के आदेशों को निरस्त करने के अपने निष्कर्षों के आधारों की विस्तृत एवं समुचित विवेचना नहीं की, केवल इन दोनों आदेशों के अंशों का संदर्भ लेते हुए यह लिखा कि ये विधिसंगत नहीं है । किन्हीं विधिक

प्रावधानों, न्याय दृष्टातों आदि का संदर्भ ले यह नहीं लिखा कि वे विधि संगत क्यों नहीं हैं, उनके समक्ष की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करने से उनका क्या आशय है, (वे दोनों आदेश किन आधारों पर निरस्त कर रहे है । तथा इस प्रकार उनका आदेश बोलते स्वरूप का होना नहीं माना जा सकता ।

5/ इस प्रकार अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30–12–13 के माध्यम से प्रकरण में न्याय एक बोलते स्वरूप में सेवित नहीं हो पाया है । इन कारणवश यह आदेश निरस्त किया जाता है । साथ ही अपर आयुक्त सागर को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने न्यायालय की अपील प्रकरण क्रमांक 1097/अ–56/11–12 पुनः खोलें, एवं उसमें उनके, अनुविभागीय अधिकारी के तथा तहसीलदार के न्यायालयों में प्रकट समस्त तथ्यों की विवेचना संबंधित विधिक प्रावधानों, न्यायदृष्टांतों आदि का स्पष्ट संदर्भ लेते हुए उनके प्रकाश में करें, आवश्यक हो तो नवीन साक्ष्य आदि लें, तथा इस प्रकार की गई समस्त कार्यवाही, तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की विवेचना आदि को अपने आदेश में सम्मिलित कर, नए सिरे से, स्पष्टतः बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें । यह आदेश वे, राजस्व मण्डल के इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 3 माह के भीतर, अनिवार्यतः पारित करें ।

आदेश पारित ।
प्रकरण समाप्त ।
पक्षकार एवं अपर आयुक्त सूचित हों ।
अभिलेख वापस हो ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर